छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly Kanpur University, Kanpur)
कल्यानपुर, कानपुर–208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

परीक्षा समिति की 15वीं बैठक दिन गुरुवार, दिनांकः 20.07.2023
कार्यवृत्त

आज दिनांक 20.07.2023, दिन गुरुवार को सायं 04:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन स्थित कार्य–परिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक ऑन–लाईन/ऑफ–लाईन माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्यगण उपस्थित रहे :–

क.सं.	नाम	पद
1.	प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुधीर कुमार अवस्थी, आचार्य/प्रति कुलपति, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 संदीप कुमार सिंह, आचार्य, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
4.	प्रो0 नन्दलाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
5.	प्रो0 नीरज कुमार सिंह, आचार्य, आई0बी0एम0 विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
6.	प्रो0 वर्षा गुप्ता, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्या
7.	डॉ0 अनुराधा कलानी, सहा0 आचार्य, लाइफ सांइस विभाग, सी.एस.जे.एम.वि. वि., कानपुर।	सदस्या
8.	प्रो0 वी0के0 कटियार, प्राचार्य, ब्रम्हावर्त डिग्री कॉलेज, मंधना, कानपुर नगर।	सदस्य
9.	प्रो0 विवेक कुमार द्विवेदी, प्राचार्य, बी0एन0डी0 कालेज, कानपुर।	सदस्य
10.	डॉ0 प्रभात द्विवेदी, इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैंनेज़मेन्ट, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
11.	डॉ0 बी0डी0 पाण्डेय, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
12.	डॉ0 अवधेश सिंह, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
13.	डॉ0 अनिल कुमार यादव, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
14.	राकेश कुमार, परीक्षा नियन्त्रक, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	पदेनसचिव
15.	प्रो0 सुधान्शु पाण्डिया, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. वि.वि.कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
16.	प्रो0 रिपुदमन सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	डॉ. आर.के. द्विवेदी, निदेशक, सी.डी.सी., सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
19.	प्रो0(श्रीमती) रोली शर्मा, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्या
20.	डा0 सरोज कुमार द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य

क्रमशः पृष्ठ –2

सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गये–

मद संख्या 2023.15.01

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को आयोजित परीक्षा समिति की 12वीं बैठक, दिनांक 29 मार्च, 2023 को आयोजित 13वीं (आपात) बैठक एवं दिनांक 22 जून, 2023 को आयोजित परीक्षा समिति की 14वीं (आपात) बैठक की कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण/अनुमोदन पर विचार।

निर्णय–

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को आयोजित परीक्षा समिति की 12वीं बैठक, दिनांक 29 मार्च, 2023 को आयोजित 13वीं (आपात) बैठक एवं दिनांक 22 जून, 2023 को आयोजित परीक्षा समिति की 14वीं (आपात) बैठक की कार्यवाही को परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से सम्पुष्टिकृत किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.15.02

परीक्षा समिति के सदस्य प्रो0 सुधान्शु पाण्डिया का कार्यकाल दिनांक 10.03.2023 को समाप्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–29 तथा विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के अध्याय–XXXIII के परिनियम के प्राविधानानुसार एक नये सदस्य को परीक्षा समिति द्वारा नामित किये जाने पर विचार।

परीक्षा समिति के सदस्य प्रो. सुधान्शु पाण्डिया का कार्यकाल दिनांक 12.03.2023 को समाप्त होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–29 तथा विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के अध्याय–XXXIII के परिनियम (One other members of the Executive Council Co-opted by the Examination Committee) के प्राविधानानुसार परीक्षा समिति द्वारा नये सदस्य को नामिति किये जाने हेतु प्रस्ताव कार्य–परिषद् के सदस्यों की सूची के साथ परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय–

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–29 तथा विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के अध्याय–XXXIII के परिनियम के प्राविधानानुसार परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रो0(डॉ0) अखिलेश चन्द्र पाण्डेय, प्राचार्य, अकबरपुर डिग्री कॉलेज, अकबरपुर, कानपुर देहात को नामित किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.15.03

डिज़िटल मूल्यांकन केन्द्रों के केन्द्र प्रभारी (महाविद्यालय के प्राचार्य) के सहयोगार्थ नियुक्त किये जाने वाले सह–प्रभारी के पारिश्रमिक की दरों के निर्धारण पर विचार।

सिस्टम मैनेज़र द्वारा अवगत कराया गया है कि सत्र 2021–22 से विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाओं का डिज़िटल मूल्यांकन कराया जा रहा है। इस हेतु अलग–अलग जनपदों में मूल्यांकन केन्द्र बनाये जाते हैं, सभी केन्द्र विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय होते हैं तथा महाविद्यालय में प्राचार्य केन्द्र प्रभारी नामित किये जाते हैं। मूल्यांकन अवधि 12 घण्टे होने की स्थिति में केन्द्र प्रभारी को एक सह–प्रभारी नियुक्त किये जाने की स्वीकृति विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है।

उपरोक्तानुसार संलग्न किये जाने वाले डिज़िटल मूल्यांकन केन्द्र हेतु प्रभारी एवं सह–प्रभारी के पारिश्रमिक के बारे में दरों का निर्धारण वॉछित है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप सी0एस0जे0एम0/सी0ओ0ई0/2800/2022 दिनांक 28.05.2022 व सी0एस0जे0एम0/सी0ओ0ई0/2817/2022 दिनांक 01.06.2022 द्वारा डिजिटल मूल्यांकन केन्द्राध्यक्ष का पारिश्रमिक शासनादेश दिनांक 09.03.2019 द्वारा अनुमन्य परीक्षा केन्द्रो के केन्द्राध्यक्षों को देय पारिश्रमिक के अनुरूप किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। वर्तमान में परीक्षा केन्द्रो के केन्द्राध्यक्षों को देय पारिश्रमिक निम्नानुसार हैः–

1.	केन्द्राध्यक्ष	रू0 145/–प्रति पाली
2.	सहायक केन्द्राध्यक्ष	रू0 130/–प्रति पाली

अतः उपरोक्त के आधार पर मूल्यांकन केन्द्रों पर नियुक्त मूल्यांकन केन्द्र प्रभारी को केन्द्राध्यक्ष के रूप में रू0 145/–प्रति पाली तथा सह प्रभारी को सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में रू0 130/–प्रति पाली का पारिश्रमिक प्रदान किये जाने पर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय–

डिज़िटल मूल्यांकन केन्द्रों पर नियुक्त मूल्यांकन केन्द्र प्रभारी (महाविद्यालय के प्राचार्य) को केन्द्राध्यक्ष के समान रू0 145/–प्रति पाली तथा सह प्रभारी को सहायक केन्द्राध्यक्ष के समान रू0 130/–प्रति पाली (अधिकतम् तीन पाली) का पारिश्रमिक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त के साथ यह भी निर्णय लिया गया कि मूल्यांकन केन्द्र प्रभारी एवं परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन एक साथ किये जाने की स्थिति में एक ही पद का पारिश्रमिक देय होगा।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.15.04

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से सम्बन्धित परीक्षा फार्म पूरित कराये जाने हेतु विलम्ब शुल्क के निर्धारण पर विचार।

कृपया अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से सम्बन्धित परीक्षा फार्म पूरित कराये जाने हेतु निम्न व्यवस्था किया जाना आवश्यक है :–

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक	बिना विलम्ब शुल्क के
निर्धारित अन्तिम तिथि से आगामी चार दिवसों तक	रू0 250/– प्रति छात्र विलम्ब शुल्क के साथ
निर्धारित अन्तिम तिथि के आगामी चार दिवसों से आगे की तीन दिवसों तक	रू0 500/– प्रति छात्र विलम्ब शुल्क के साथ
उपरोक्त दिवसों के पश्चात्	माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार

अतः परीक्षा समिति के समक्ष उपरोक्त प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदन प्रस्तुत किया गया।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करते हुये निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फार्म पूरित कराये जाने हेतु प्रकाशित सूचना में एक ही साथ तिथि निर्धारित की जायेगी, जो निम्नवत होगी –

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक	बिना विलम्ब शुल्क के
निर्धारित अन्तिम तिथि से आगामी सात दिवसों तक	रू0 250/– प्रति छात्र विलम्ब शुल्क के साथ
तत्पश्चात् आगामी सात दिवसों तक	रू0 500/– प्रति छात्र विलम्ब शुल्क के साथ
उपरोक्त दिवसों के पश्चात्	माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार

आवश्यकतानुसार उक्त अवधि बढ़ायी/घटायी जा सकती है।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.15.05

प्रायोगिक परीक्षाओं की लिखित उत्तरपुस्तिकाओं को सम्बन्धित महाविद्यालयों में संरक्षित कराये जाने पर विचार।

आगामी सम्पादित होने वाली प्रायोगिक/मौखिक परीक्षाओं हेतु महावद्यिालय के सम्बन्धित विषय के केवल ऑनलाइन अंक विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड कराये जाने तथा उनकी हार्ड कांपी तथा प्रयोगात्मक परीक्षा की लिखित उत्तपुस्तिकायें विश्वविद्यालय को उपलब्ध न कराकर अपने पास 03 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाने के विचारार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा की लिखित उत्तपुस्तिकायें विश्वविद्यालय को उपलब्ध न कराकर अपने पास 01 वर्ष तक एवं न्यायालयीय/अन्य विवाद से सम्बन्धित उत्तरपुस्तिकायें अनिवार्य रूप से प्रकरण के निस्तारित होंने तक सुरक्षित रखेंगे।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.15.06

सत्र 2020–21 में कोरोना (Covid-19) के कारण स्नातक पाठ्यक्रम में प्रोन्नत किये गये ऐसे छात्र/छात्रा जो सत्र 2021–22 में अनुत्तीर्ण हुये तथा सत्र 2022–23 में भूतपूर्व छात्र/छात्रा के रूप में स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुये, के परीक्षाफल पर विचार।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में पूर्व में मुख्य वार्षिक परीक्षायें संचालित करायी गयी थी। विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2020–21 में स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों की प्रथम वर्ष की परीक्षा सम्पन्न नहीं करायी गयी थी उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को उक्त सत्र की परीक्षा में प्रमोट करने का आदेश प्रदान किया गया था एवं अगले सत्र 2021–22 की परीक्षा में पाये गये अंको के एवरेज अंक देने का आदेश प्रदान किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि सत्र 2020–21 में प्रमोट अभ्यार्थीयों द्वारा सत्र 2021–22 की परीक्षा दी थी जिसके उपरान्त उनका परीक्षा फल अनुत्तीर्ण आया है एवं उक्त अभ्यार्थियों द्वारा सत्र 2022–23 की परीक्षा में भूतपूर्व अभ्यार्थियों द्वारा आवेदन किया गया था सम्बन्धित अभ्यार्थियों की परीक्षायें भी पूर्व में माह जून/जुलाई में सम्पन्न करायी जा चुकी है। ऐसे छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम के निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय–

सत्र 2020–21 में कोरोना (Covid-19) के कारण स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रोन्नत किये गये ऐसे छात्र/छात्रा जो सत्र 2021–22 में द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण हुये तथा सत्र 2022–23 में भूतपूर्व छात्र/छात्रा के रूप में सम्मिलित हुये हैं, ऐसे छात्र/छात्राओं के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया कि यदि वे भूतपूर्व छात्र/छात्रा के रूप में द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण होते हैं तो उनके द्वारा प्रथम वर्ष के सम्बन्धित विषय/विषयों में बैक पेपर दिये जाने की शर्त के साथ तृतीय वर्ष में प्रवेश दिये जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.15.07

कोडिंग विभाग की आख्यानुसार राजकीय महाविद्यालय, खीरी (LM22) द्वारा दिनांक 03.04.2023 को स्पीडपोस्ट संख्या–EU656722354IN के माध्यम से पेपरकोड संख्या–AG1011 छात्र संख्या–02 तथा AG5011 छात्र संख्या–214 की उत्तरपुस्तिकायें विश्वविद्यालय प्रेषित की गयीं थीं, जो विश्वविद्यालय को अद्यतन् प्राप्त नहीं हुयी हैं। इसी तरह कुंदन लाल शुक्ला महाविद्यालय, रनियां रमाबाई नगर (KD02), श्री सी.बी.सिंह मेमोरियल शिक्षा संस्थान, झींझक, कानपुर देहात (KD06) की बी0पी0एड0 के तृतीय सेमेस्टर के पेपर–कोड BPED301S की कमशः 16 एवं 01 उत्तरपुस्तिकायें तथा बाबू जे.एस.जी.पी. महाविद्यालय, सुमेरपुर, उन्नाव (UN10) की बी0पी0एड0 के तृतीय सेमेस्टर के पेपर–कोड BPED104S की 14 उत्तरपुस्तिकायें भी विश्वविद्यालय के कोडिंग सेन्टर को प्राप्त नहीं हुयी हैं। सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के परीक्षाफल पर विचार।

उपरोक्त प्रस्ताव परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सन्दर्भित महाविद्यालयों के परीक्षार्थियों को सम्बन्धित प्रश्नपत्रों में अन्य प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंको का औसत प्रदान करते हुये परीक्षाफल पूर्ण कराये जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु भारतीय डॉक विभाग को पत्र प्रेषित किया जाये।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.15.08

छात्र अशोक कुमार गौतम द्वारा अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों के तथ्य को छुपाकर दयानन्द विधि महाविद्यालय, कानपुर में प्रवेश लिये जाने के कारण उसकी एल0एल0बी0 (2013–16) की उपाधि को निरस्त किये जाने पर विचार।

उपरोक्त के सम्बध में अवगत कराना है कि शुभांगी देवी द्वारा श्री अशोक कुमार गौतम एल0एल0बी0 सत्र 2013–16 का प्रवेश एवं परीक्षाफल निरस्त करने हेतु अपराधिक तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया है। विभाग द्वारा प्रचार्य, दयानन्द विधि महाविद्यालय, कानपुर की आख्या जिसमें छात्र द्वारा प्रवेश–फार्म में अपराधिक तथ्यों को न दर्शाने के कारण प्रवेश दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या जिसमें धारायें दर्शायी गयी हैं। विश्वविद्यालय के अध्यादेश में अपराधिक व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। श्री अशोक कुमार गौतम द्वारा सूचना में दर्शाया गया है कि सारी एफ.आई.आर. शुभांगी द्वारा करायी गयी है, क्योंकि सुभांगी देवी एवं मेरे मध्य अनबन है। प्रवेश–फार्म में अपराधिक तथ्यों को दर्शाने का कालम न होने के कारण दर्शाया नहीं गया है।

अतः सन्दर्भित प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय–

प्रस्तुत प्रस्ताव पर परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. सेवानिवृत जनपद न्यायाधीश/अपर जनपद न्यायाधीश
2. निदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी स्कूल आफ लीगल स्टडीज, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।
3. डीन एकेडमिक, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर,
4. श्री सवित्र वर्धन, विश्वविद्यालय अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (खण्डपीठ लखनऊ)।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.15.09

हिमांशी मिश्रा बी0एस–सी0 (तृतीय वर्ष) परीक्षा वर्ष 2017 अनुक्रमांक 6067061, केन्द्र–बी0एन0 महाविद्यालय, महरी, हरदोई के परीक्षाफल के प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–11417(एम/एस)/2019 हिमांशी मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.2019 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के निस्तारण आदेश दिनांक 31.10.2019 एवं अन्य योजित याचिका MISC. SINGLE NO. -3063 OF 2021 Himanshi Mishra V/s. State of U.P. Through Secretary Higher Education and Others. में पारित माननीय उच्च न्यायलय के आदेश दिनांक 03.02.2021 के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के धारा–68 के अन्तर्गत माननीय कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश ई–5003/जी.एस. दिनांक 04.08.2022 में पारित आदेश के अनुपालन पर विचार।

याची हिमांशी मिश्रा बी0एस–सी0 (तृतीय वर्ष) वर्ष 2017 अनुक्रमांक 6067061, केन्द्र–बी0एन0 महाविद्यालय, महरी, हरदोई की छात्रा है, उसके द्वारा बी0एस–सी0 (प्रथम वर्ष) वर्ष 2015, बी0एस–सी0 (द्वितीय वर्ष) वर्ष 2016 एवं बी0एस–सी0 (तृतीय वर्ष) 2017 में उत्तीर्ण की है। छात्रा को विश्वविद्यालय द्वारा अंकतालिका एवं प्रोविज़नल सर्टीफिकेट दिनांक 01.11.2017 को जारी कर दिया गया था। उक्त अंकतालिका एवं प्रोविज़नल सर्टीफिकेट के आधार पर छात्रा ने डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया था, फिर उसके रसायन विज्ञान के द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र की परीक्षा निरस्त कर दी गयी, जिसके कारण उसकी अंकतालिका स्वतः निरस्त हो गयी थी।

उक्त प्ररकण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी हरदोई की संस्तुति के आधार पर परीक्षा केन्द्र बी0एन0 महाविद्यालय, महरी, हरदोई की दिनांक 20.03.2017 एवं 22.03.2017 को सम्पन्न रसायन विज्ञान के द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्रों की परीक्षायें निरस्त कर महाविद्यालय को काली सूची में अंकित करने का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया, जिसकी सूचना परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय से दिनांक 22.04.2017 को महाविद्यालय के प्राचार्य को दी गयी तथा निरस्त प्रश्नपत्रों की पुनः परीक्षा कराने की भी सूचना दी गयी थी।

बाद में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 16.08.2017 में लिये गये निर्णय के क्रम में बैक पेपर के साथ पुनः परीक्षायें अक्टूबर, 2017 में सम्पन्न करायी गयीं, जिसमें वह सम्मिलित नहीं हुयी जिसके कारण उसके परीक्षाफल में वह रसायन विज्ञान के द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र में अनुपस्थित हो गयी, जिससे वह अनुत्तीर्ण हो गयी। जिसके कारण छात्रा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या–11417(एम/एस)/2019 हिमांशी मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य योजित की गयी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2019 के अनुपालन में याची छात्रा के प्रत्यावेदन दिनांक 13.05.2019 के क्रम में विश्वविद्यालय के निस्तारण आदेश दिनांक 31.10.2019 द्वारा छात्रा के अनुरोध कि निरस्त प्रश्नगत प्रश्नपत्रों की परीक्षा में प्राप्त अंक अंकित कर प्रत्यावेदिका को बी0एस–सी0(तृतीय वर्ष) का परीक्षाफल संशोधित कर घोषित किया जाये तथा त्रृटिवश घोषित परीक्षाफल के सापेक्ष निर्गत अंकतालिका मान्य की जाये को, बलहीन होने के कारण निरस्त कर दिया गया तथा उसे कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया।

उक्त से क्षुब्ध होकर याची द्वारा पुनः रिट याचिका संख्या MISC. SINGLE NO. -3063 OF 2021 Himanshi Mishra V/s. State of U.P. Through Secretary Higher Education and Others. योजित की गयी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 03.02.2021 के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–68 के अन्तर्गत प्रस्तुत याची के प्रत्यावेदन दिनांक 15.02.2021 में माननीय कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् आदेश (ई–5003/जी.एस. दिनांक 04.08.2022) पारित किये गये हैं –

– प्रकरण से सम्बन्धित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2019 को निरस्त किया जाता है, प्रत्यावेदिका के कथनों व परिस्थितियों के दृष्टिगत छात्रहित में

सहानुभूति पूर्वक पुनर्विचार कर अविलम्ब विधि सम्मत आदेश पारित कर प्रकरण का निस्तारण कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है।

उक्त प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से माननीय कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश ई–5003/जी.एस. दिनांक 04.08.2022 में पारित आदेश के क्रम में हिमांशी मिश्रा, बी0एस–सी0 (तृतीय वर्ष) परीक्षा वर्ष 2017 अनुक्रमांक 6067061, केन्द्र–बी0एन0 महाविद्यालय, महरी, हरदोई के बी0एस–सी0 (तृतीय वर्ष) के परीक्षाफल को वर्ष 2017 की मूल परीक्षा में रसायन विज्ञान के द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र में प्राप्त अंको को प्रदान करते हुये परीक्षाफल पूर्ण कराये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.15.10

त्रिवर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम सत्र 2013–16 के छात्र त्रितोश कुमार गुप्ता के परीक्षाफल पर विचार।

याचिका संख्या 17820/2022, त्रितोश कुमार गुप्ता बनाम विश्वविद्यालय एवं अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.06.2022 का प्रभावी अंश निम्नानुसार है–

"Present writ petition has been preferred for a direction to respondent to permit the petitioner to fill up the examination form for appearing in all the papers of L.Lb. 6th Semester Examination pursuant to notification dated 4.8.2021 and to permit him to appear in the said examination and also to declare the result of the petitioner.

Considering the facts and circumstances of the case, without expressing any opinion on the merits of the issue and with the consent, the writ petition stands **disposed** of with observation that in case the petitioner moves appropriate application ventilating his grievances to the second respondent i.e. Controller of Examination, Chhatrapati Sahu Ji Maharaj University, Kanpur within three days from today, this Court hopes and trusts that the said representation may be considered and decided sympathetically considering the notification dated 4.8.2021 in further week's time."

अवगत कराना है कि याची त्रिवर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम सत्र 2013–16 का छात्र है तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण है। याची सत्र 2015–16 में पंचम् एवं षष्ठम् सेमेस्टर की परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ जिसमें पंचम सेमेस्टर के चतुर्थ (Human Rights Law and Practice) एवं पंचम (Right to Information) प्रश्नपत्र में उसका बैक पेपर था तथा षष्ठम् सेमेस्टर की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उत्तीर्ण है (पताका '1')। याची पंचम् सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के कारण वर्ष–2018 में बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित हुआ जिसमें वह चतुर्थ प्रश्नपत्र Human Rights Law & practice में अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित हो गया। जिसमें उसे अनुचित साधन प्रयोग के आरोप में आरोपपत्र दिनांक 03.09.2018 (पताका '2') निर्गत किया गया। याची के अनुचित साधन प्रयोग के प्रकरण पर विचारोपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय पत्र दिनांक 24.09.2018 (पताका '3') इस निर्देश के साथ निर्गत किया गया कि याची की पंचम् सेमेस्टर–2018 की सम्पूर्ण परीक्षाफल अर्थात बैकपेपर परीक्षा निरस्त करते हुये उसे पुनः आगामी वर्ष–2019 में आयोजित की जाने वाली पंचम् सेमेस्टर परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

विश्वविद्यालय के उक्त निर्णय दिनांक 24.09.2018 के क्रम में याची को पुनः वर्ष 2019 के बैकपेपर की परीक्षा में उसे सम्मिलित होना चाहिये था परन्तु वह त्रुटिवश भूतपूर्व छात्र के रूप में वर्ष–2019 में आयोजित पंचम् सेमेस्टर परीक्षाओं के समस्त प्रश्नपत्रो की परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ तथा परीक्षाफल उत्तीर्ण घोषित किया गया (पताका '4')।

वर्तमान में प्रकरण में स्थिति यह कि याची षष्ठम् सेमेस्टर परीक्षा–2016 में उत्तीर्ण है तथा पंचम् सेमेस्टर परीक्षा वर्ष–2019 में उत्तीर्ण है।

विचाराधीन याचिका इस प्रार्थना के साथ योजित की गयी है कि याची को षष्ठम् सेमेस्टर परीक्षा के समस्त प्रश्नपत्रों में पुनः सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाये ताकि याची का एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम पूर्ण हो सके।

सूच्य है कि एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अध्यादेशानुसार याची/प्रत्यावेदक त्रितोश कुमार गुप्ता को उक्त पाठ्यक्रम अधिकतम सत्र 2018–19 तक पूर्ण किया जाना वांछित था, अर्थात समयावधि सत्र 2018–19 में पूर्ण होने के कारण अग्रिम तिथियों में षष्ठम् सेमेस्टर हेतु परीक्षा में सम्मिलित कराया जाना नियमानुसार नहीं है।

अतः यदि सहमत हो तो कृपया माननीय उच्च न्यायालय के उल्लिखित आदेश के अनुपालन में याची द्वारा विश्वविद्यालय निर्देशों के क्रम में वर्ष–2019 भूतपूर्व छात्र के रूप में पंचम् सेमेस्टर में प्राप्त अंकों से वर्ष–2018 में दी गयी बैकपेपर परीक्षा प्रश्नपत्र Human Right Law and Practice व Right to Information के अंकों के बैकपेपर परीक्षा मानते हुये पंचम् सेमेस्टर–2016 की सारणीयन पंजिका में अंकित कर परीक्षाफल पूर्ण कर दिया जाये, ताकि प्राप्त आदेशों के आलोक में विचाराधीन प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाना सम्भव हो सके।

उपरोक्त प्रस्ताव परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय–

याचिका संख्या 17820/2022, त्रितोश कुमार गुप्ता बनाम विश्वविद्यालय एवं अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.06.2022 पर परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि श्री त्रितोष कुमार गुप्ता को वर्ष–2019 में भूतपूर्व छात्र के रूप में पंचम् सेमेस्टर में प्रश्नपत्र Human Right Law and Practice एवं Right to Information में प्राप्त अंकों को बैकपेपर मानते हुये उसे पंचम् सेमेस्टर–2016 की सारणीयन पंजिका में अंकित कर परीक्षाफल पूर्ण कराया जाये।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.15.11

छात्र सन्तोष कुमार गौड़ द्वारा बी.एस–सी.(2011–2015) की उपाधि निर्गत किये जाने हेतु ऑन–लाईन अपलोड की गयी बी.एस–सी.(प्रथम वर्ष) के अंकपत्र के अंको तथा विश्वविद्यालय के अंकचार्ट के अंकों में भिन्नता पायी गयी। वह अंकपत्र के अनुसार उत्तीर्ण हैं तथा अंकचार्ट के अनुसार अनुत्तीर्ण हैं। उपरोक्त प्रकरण पर विचार।

अवगत कराना है कि छात्र श्री संतोष कुमार गौड़ पुत्र श्री ओम प्रकाश गौड़ निवासी 4/260 विजयंत खण्ड गोमती नगर, नियर कठौता चौराहा, लखनऊ द्वारा बी.एस.सी. (सत्र 2011–15) की उपाधि निर्गत किये जाने हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया गया है। आवेदन के साथ छात्र द्वारा अपलोड किये गये अंक पत्रों का सत्यापन एस.एस.सी. (छात्र सहायता प्रकोष्ठ) द्वारा किया गया। सत्यापन के समय छात्र द्वारा अपलोड की गयी बी.एस.सी. प्रथम वर्ष सत्र 2011–12, अनुक्रमांक–0170880, **"एम0जी0 कालेज आफ साइंस आर्ट एण्ड कल्चर चचिरईखेडा, उन्नाव"** की अंकतालिका के अंको तथा विश्वविद्यालय के अंकचार्ट के अंको में भिन्नता पाई गयी जो निम्नवत् हैः–

विषय	अंक चार्ट में उपलब्ध अंक	छात्र द्वारा प्रस्तुत अंकपत्र में उपलब्ध अंक
गणित द्वितीय प्रश्नपत्र	17/65	37/65
भौतिक विज्ञान प्रथम प्रश्नपत्र	01/50	32/50
भौतिक विज्ञान द्वितीय प्रश्नपत्र	16/50	34/50
रसायन विज्ञान प्रथम प्रश्नपत्र	05/50	32/50

अंकों के उपरोक्त अन्तर के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर केन्द्र एवं पी0एम0यू0 सेल द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार दिनांक 26.10.2012 को यूजर श्री भाष्कर जोशी द्वारा छात्र के अंकों को अपडेट किया गया था जिनकी मृत्यु हो चुकी है। यूजर भाष्कर जोशी द्वारा याची के बी.एस.सी. प्रथम वर्ष के अंको में उपरोक्त संशोधन किये जाने के आधार की तलाश कम्प्यूटर केन्द्र पर उपलब्ध अभिलेखों से करायी गयी। परन्तु सन्दर्भित तिथि 26.10.2012 के उपलब्ध अभिलेखों में उक्त संशोधन किये जाने के आधार से सम्बन्धित कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में छात्र संतोष कुमार गौड़ से दूरभाष पर वार्ता की गयी तथा उससे पूछा गया कि आपका परीक्षा परिणाम कैसे परिवर्तित हुआ है। छात्र द्वारा बताया गया कि उसे कुछ याद नहीं है।

कार्यालयीय प्रक्रिया के अन्तर्गत तत्समय किसी छात्र के परीक्षा परिणाम में यदि स्क्रूटिनी आदि द्वारा कोई संशोधन किया जाता था तो सर्वप्रथम सम्बन्धित अंकचार्ट में संशोधन अंकित किये जाने के उपरान्त, एक निर्धारित प्रारूप (Proforma) पर उक्त संशोधन की सूचना कम्प्यूटर पर डाटा संशोधित किये जाने हेतु कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित की जाती थी। उल्लेखनीय है कि उक्त संशोधन दिवंगत भाष्कर जोशी द्वारा कम्प्यूटर पर किया गया था तथा उक्तानुसार संशोधित डाटा ही विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित हो रहा है।

अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में गठित समिति की आख्या के अनुसार छात्र श्री संतोष कुमार गौड़ द्वारा प्रस्तुत बी.एस–सी. प्रथम वर्ष की अंक तालिका के अंकों एवं विश्वविद्यालय के अंकचार्ट में उपलब्ध अंकों में भिन्नता पाई गयी है।

परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त छात्र सन्तोष कुमार गौड़ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रकरण की जांच एक उच्च स्तरीय आन्तरिक समिति से कराये जाने तथा यदि आवश्यक हो तो प्रकरण एस.आई.टी. को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

इस सम्बन्ध में समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अंको में परिवर्तन के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया जाये तथा अंकों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन समिति के माध्यम से ही कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद पर विचार

मद संख्या 2023.15.01 अ0म0

बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज द्वारा उनके पत्र संख्या मृतक आश्रित नियु0/12419/2022–23 दिनांक 11.10.2022, पत्रांक जांच/...../2022–23 दिनांक 11.10.2022 एवं पत्रांक मृ.आ.नि./25562/2022–23 दिनांक 25.03.2023 द्वारा प्रेषित श्री प्रदीप कुमार तिवारी पुत्र श्री बी0एन0 तिवारी के स्नातक शैक्षिक अभिलेख सत्यापन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा प्रेषित मूल अंकतालिका (निर्गत तिथि 24.01.2023) के सम्बन्ध में सम्बन्धित छात्र के स्कैन चार्ट एवं अतिगोपनीय चार्ट (हार्ड कापी) में भिन्नता/संशोधन एवं परिलक्षित संदिग्धता के दृष्टिगत श्री अवधेश कुमार (प्रशासनिक अधिकारी), श्री मनोज कुमार (प्रशासनिक अधिकारी), श्रीमती राजेश गुप्ता (प्रशासनिक अधिकारी), श्री अभिषेक मिश्रा (प्रशासनिक अधिकारी) की चार सदस्यीय समिति गठित की गयी थी। समिति की आख्या के आलोक में छात्र – श्री प्रदीप कुमार तिवारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये प्रकरण की जांच एस.आई.टी. से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त से परीक्षा समिति को संसूचित करने पर विचार।

निर्णय –

परीक्षा समिति तद्नुसार संसूचित हुई।

कार्यवाही–सहायक कुलसचिव, छात्र सहायता प्रकोष्ठ

मद संख्या 2023.15.02 अ0म0

छात्र सहायता प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2023 06 मई, 2023 एवं 16 मई, 2023 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय –

परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–सहायक कुलसचिव, छात्र सहायता प्रकोष्ठ

अन्त में सचिव जी द्वारा समस्त माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

20/7/2023

(राकेश कुमार)
परीक्षा नियंत्रक/
सचिव, परीक्षा समिति

(प्रो० विनय कुमार पाठक)
कुलपति/अध्यक्ष